



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-30062026-273939
CG-UP-E-30062026-273939

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3335]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 27, 2026/ आषाढ 6, 1948

No. 3335]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 27, 2026/ ASHADHA 6, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना (शुद्धिपत्र)

प्रयागराज, 10 जून, 2026

इससे पहले भारत का राजपत्र को इस अधिनियम के तहत धारा 20 ई की 29 अप्रैल 2025 पर काओ 1928 (अ) प्रकाशित किया गया था। इस अधिसूचना के पृष्ठ 1 जिसमें कुछ लिपिकीय अशुद्धि होने के कारण पृष्ठ 1 को निम्न प्रकार पढ़ा जाए।

का.आ. 3470(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाता है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) तारीख 26 अक्टूबर, 2024 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना सं० काओ 4695 (अ) तारीख 5 अक्टूबर 2024 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले में विशेष रेल परियोजना, अलीगढ़-हरदुआगजं रेल फलाईओवर (22 किमी) निर्माण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन तारीख 08 नवम्बर, 2024 के "दैनिक जागरण और अमर उजाला" दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। और अलीगढ़ जिले की भूमि के सम्बन्ध में 16 आक्षेप प्राप्त हुए जिनका निस्तारण सक्षम प्राधिकारी अलीगढ़ द्वारा

किया जा चुका है और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है, कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाएगा।

[फा. सं. एन.सी.आर.-एच.क्यू.शून्य.सी.ई.एन.जी.(मिस)/55/2022-ओ./ओ.सी.ई./कांस्ट/नार्थ/एच.क्यू./एन.सी.आर (कम्प्यूटर सं. 71372)]

राजकुमार वानखेड़े, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Department)]

NOTIFICATION (CORRIGENDUM)

Prayagraj, the 10th June, 2026

Earlier The Gazette of India was published vide S.O. 1928(A) on 29 April, 2025 of section 20E under this Act. Page no 1 of this notification has some clerical errors, now the same may be changed & read as below.

S.O. 3470(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), No, **S.O. 4695(A), dated 05 October 2024** published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated 26 October 2024 and issued of sub section (i) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of **The Aligarh-Harduaganj flyover (22 Km.) in the District of Aligarh in the State of Uttar Pradesh;**

And whereas the substance of the said notification was published in the daily newspapers Dainik Jagran dated 08.11.2024 and the Amar Ujala 08.11.2024 under sub-section (4) of section 20A of the said Act; And whereas 16 objection was received and the same have been considered and allowed by the Competent authority and accordingly orders have been passed;

And whereas in pursuance of sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers Conferred by sub- section (1) of section 20E of the Railway Act, 1989 the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

[F. No. NCR-HQ0CENG(MISC)/55/2022- O/o CE/CONST/NORTH/HQ/NCR (Computer No. 71372)]

RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Administrative Officer (Construction)